संख्या:887/2023/2865/35-4-2023/35-4099/117/2022

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 नवम्बर, 2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक की लागत पुनरीक्षित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यामंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-बलरामपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक, घुघुलपुर, बलरामपुर के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश सं0-15/2020/254/35-4-2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा लागत रू0 1803.97 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-13/2021/166/35-4-2021 दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 270.60 लाख, शासनादेश सं0-91/2022/243/35-4-2022 दिनांक 22 मार्च, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 674.74 लाख तथा शासनादेश सं0-459/2022/1722/35-4-2022/001-35-4099/ 117/2022 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 568.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की की गई। इस प्रकार अब तक रू0 1713.77 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। जिलाधिकारी, के पत्रांक:418/त्व0आ0वि0यो0(2019-20)/जी0एस0टी0 मांग/2023-24 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के क्रम में उक्त कार्य की लागत में जी0एस0टी0 की धनराशि रू. 225.03 लाख को सम्मिलित करते हुए रू. 2029.00 लाख (रूपये बीस करोड़ उनतीस लाख मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित किए जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**जी0एस0टी0 की धनराशि**	**पुनरीक्षित लागत** (जी0एस0टी0 सहित)
राजकीय पॉलीटेक्निक, घुघुलपुर, बलरामपुर का भवन निर्माण कार्य	1803.97	225.03	2029.00

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 09 फरवरी, 2021, दिनांक 22 मार्च, 2022 एंव 26 दिसम्बर, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
3- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4- जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
5- पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
6- परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या:ई0-5-129-X-2023-2024 दिनांक- 21 नवम्बर, 2023 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:887/2023/2865(1)/35-4-2023/35-4099/117/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग कानपुर उ0प्र0।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
10-मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर ।
12- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।
15-प्रभारी, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, मेडिकल कालेज इकाई, बहराइच।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।